राष्ट्रीय नवीन मेल
रांची,8 फरवरी
2016

बाल आश्रय चिल्ड्रेन होम का शुभारंभ, बोले मदन बी लोकुर

मॉडर्न पुनर्वासन सराहनीय कदम

बाल श्रम रोकने की ठोस पहल

वरीय संवाददाता

रांची : बाल श्रम के शिकार बच्चों के पुनर्वास के लिए राजधानी स्थित आइटीआइ, हेहल परिसर में नवनिर्मित ''बाल आश्रय'' (चिल्ड्रेन होम) का उद्घाटन रविवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने किया। उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि न्यायाधीश श्री लोकुर ने कहा कि यह प्रशंसनीय है कि राज्य सरकार और अन्य दूसरे साझीदार देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए एक मॉडल पुनर्वासन कार्यक्रम के साथ आगे आए हैं। इस दिशा में बढ़ाया गया कदम सराहनीय है। उन्होंने कहा कि चिल्ड्रेन होम में बच्चों की सही देखभाल के लिए कुशल व अनुभवी कर्मियों की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो बच्चों को पैरेंट्स जैसा प्यार दे सकें। बाल आश्रय में बच्चे अपने को बेसहारा न समझें। मौके पर मौजूद झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने बाल श्रम से छुड़ाए गए बच्चों के परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर बल देते हुए कहा कि यह बच्चों के पुनर्वासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसका सामना करते हुए आगे बढ़ना है। इस दिशा में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर सामूहिक प्रयास किया जाना चाहिए। तभी इस मिशन में पूरी सफलता मिलेगी। समारोह में न्यायाधीश डीएन पटेल ने कहा कि चिल्ड्रेन होम के उद्घाटन और मॉडल बाल श्रम पुनर्वास कार्यक्रम को लागू कर राज्य ने 23 अगस्त 2015 को जारी किए गए रांची घोषणा के तहत किए गए वायदों में से एक को पूरा कर दिया है। जल्द ही रांची घोषणा के अन्तर्गत किए गए अन्य वायदों केसों के जल्दी निस्तारण के लिए संप्रेक्षण गृहों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा और किशोर न्याय बोर्डों के साथ इसको जोड़ना तथा संप्रेक्षण गृहों में परामर्श / कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना जिसे जल्द ही महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। समारोह में यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख डॉ. मधुलिका जोनाथन ने कहा कि यह कई विभागों का सम्मीलित प्रयास है जिसमें शिक्षा विभाग, कौशल निर्माण मिशन, जिला बाल संरक्षण समितियां, बाल कल्याण समिति और पुलिस संयुक्त रूप से शामिल हैं। जिसका उद्देश्य है कि देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों का पुनर्वास और नियमित रूप से उनकी निगरानी ताकि वे दुबारा बाल श्रम के शिकार न हों। इस अवसर पर झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश डीएन पटेल, झालसा के सचिव नवनीत कुमार व झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आरआर प्रसाद विशेष रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम में झारखंड हाइकोर्ट के कई न्यायाधीशों के साथ-साथ झारखंड के महालेखाकार, झारखंड हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, यूनिसेफ झारखंड की बाल संरक्षण अधिकारी प्रीति श्रीवास्तव, श्रम आयुक्त प्रवीण टोप्पो, रांची के उपायुक्त मनोज कुमार, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त सचिव और आइसीपीएस के डायरेक्टर राजेश कुमार और झारखंड महिला समाख्या सोसाइटी की डॉ. स्मिता गुप्ता उपस्थित थीं। समारोह में बाल आश्रय भवन में पुर्नवासन के लिए लाए गए 32 बच्चे भी मौजूद थे।

मॉडल बाल श्रम पुनर्वास कार्यक्रम लागू

मॉडल बाल श्रम पुर्नवास कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक विस्तारित कार्ययोजना तैयार तैयार की गई, जिसमें प्रत्येक साझीदारों की स्पष्ट जिम्मेवारी एवं भागीदारी तय की गई है। इस कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और यूनिसेफ महत्वपूर्ण साझीदार हैं। इस कार्यक्रम को धरातल पर सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने भवन मुहैया कराया है, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग ने आइसीपीएस के नियम के तहत बच्चों के देखभाल एवं चिल्ड्रेन होम के संचालन आदि के लिए सहयोग दिया है। यूनिसेफ इस कार्यक्रम के संचालन के लिए वित्तीय और तकनीकी मदद उपलब्ध करा रहा है। इस कार्यक्रम को धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी झारखंड महिला समाख्या सोसाइटी की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बाल श्रम से छुड़ाए गए और बाल कल्याण समिति के द्वारा संप्रेक्षण गृह भेजे गए बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए, उन्हें मुख्यधारा में शामिल किया जाए। साथ ही उनपर नजर बनाए रखा जाए ताकि उसे दुबारा बाल श्रम के दलदल में नहीं धकेला जा सके।

श्वेत पत्र
रांची, 08 फरवरी, सोमवार 2016

न्यायाधीशों ने किया रूफ टॉप सोलर सिस्टम का निरीक्षण

खूंटी की सौर ऊर्जा प्रणाली देश के लिए अनुकरणीय : न्यायमूर्ति लोकुर

खूंटी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर तथा झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह सहित अन्य न्यायिक अधिकारियों ने रविवार को खूंटी व्यवहार न्यायालय में लगे रूफ टॉप सोलर सिस्टम का निरीक्षण किया। सौर प्रणाली से सभी न्यायिक अधिकारी काफी प्रभावित नजर आये। न्यायमूर्ति ने कहा कि यह पूरे देश के अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा प्रणाली कसे अपना कर हम पारंपरिक ऊर्जा की बचत कर सकते हैं।

न्यायमूर्ति लोकुर, न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह तथा अन्य न्यायाधीशों ने ग्रेडा के अधिकारियों से सौर प्रणाली के बारे में बारीकी से जानकारी ली। श्री लोकुर ने इस प्रणाली को सभी न्यायालय भवनों में स्थापित करने पर बल दिया। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति डीएन पटेल तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों से आये न्यायाधीशों ने भी सौर प्रणाली के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलीप गुप्ता सहित अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खूंटी आगमन का उद्देश्य सौर ऊर्जा प्रणाली के संबंध में जानकारी प्राप्त करना था, ताकि वहां भी इस प्रणाली को अपनाया जा सके।

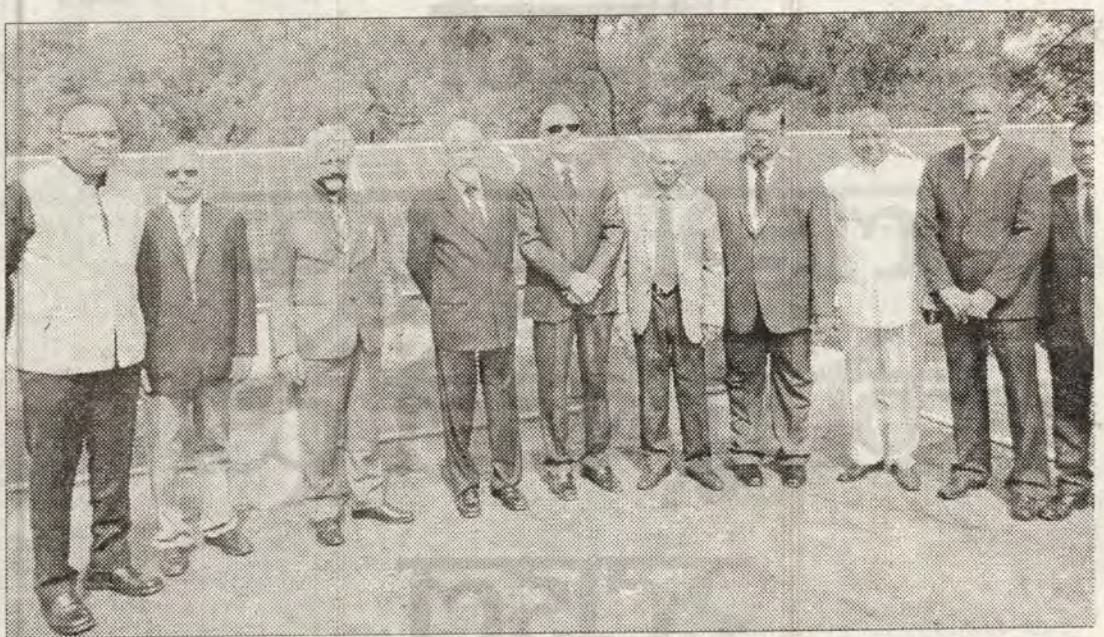

राज्य के तीन न्यायालय भवनों में लगेगी सौर ऊर्जा प्रणाली

खूंटी। राज्य के तीन जिलों के न्यायालय भवनों में भी ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जायेगी। यह जानकारी देते हुए ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संतोष जी रहाटे तथा ग्रेडा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि खूंटी के बाद सिमडेगा, साहिबगंज और गढ़वा के न्यायालय भवन में भी रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगायी जायेगी। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं।

गौरतलब है कि खूंटी देश का ऐसा पहला जिला है, जहां न्यायिक कार्यों का संचालन सौर ऊर्जा प्रणाली से किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो अक्तूबर २०१५ को इसका उद्घाटन किया था। मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जेनरल अनिल कुमार चौधरी, जोनल जज पी पटनायक, खूंटी के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विपिन बिहारी, जिला जज ओपी सिंह, विधि विभाग के प्रधान सचवि अजीत डे सहित जिले के तमाम न्यायिक अधिकारी, उपायुक्त डॉ पीके बाघमारे, एसपी अनीश गुप्ता सहित अन्य उपस्थित थे।

the pioneer
RANCHI | MONDAY | FEBRUARY 8, 2016

Bal Ashray for child rehabilitation starts in capital

The aim of the institution is to save rescued children from falling prey to child labour again

MI News Service

RANCHI: Supreme Court judge Madan B Lokur inaugurated the newly constructed Bal Aashray (Children Home) on Sunday at the ITI, Hehal premises. The shelter purports to rescue and rehabilitate children forced to work.

In his address Lokur said it was commendable that the state government and other stakeholder had come forward with a model rehabilitation programme to help children in need of care and protection. He said skilled workers should be employed at the children home who could love the children as their own. They (workers) must not let the children feel that they are alone.

On the occasion Jharkhand High Court chief justice Virender Singh stressed that it was mandatory that children rescued from forced labour and children who are in need of protection and care are made financially strong. He said rehabilitation of such children is a big challenge and both governmental and nongovernmental institutions should take initiative in the direction.

Justice DN Patel said the state had fulfilled one of its promises made in Ranchi announcements on August 23, 2015, by opening the children home and by initiating the model child labour rehabilitation programme. He added that soon video conferencing facility in correction homes and connection of juvenile judicial boards with it would be ensured. Also, the women and child development department would soon start a legal advice help centers in correction homes.

CONTINUED ON PAGE 3

MORNING INDIA
www.pmedia.in
12 Ranchi, Monday
08 February 2016

NEWS
IN BRIEF

Supreme Court Justice Madan Bhimarao Lokur (extreme left) **inaugurates an e-court room at Ranchi Civil Court on Saturday as Jharkhand High Court Chief Justice Virender Singh** (second from left) **and others look on.** Picture by Hardeep Singh

Strike called off

■ **Ranchi:** Around 5,000 contractual nurses withdrew their indefinite strike on Saturday.

They had gone on strike from January 15 demanding permanent jobs. Rani Devi, a member of the nurses' association, said, "Since the government has assured us of looking into the matter, we are ending our strike."

Rape cuffs

■ **Gumla:** A 30-year-old man was arrested on Sunday for allegedly raping a 30-year-old woman at Vargitand in Raidih here on Friday. She had lodged a complaint against Md Tashlim, who was nabbed, and Tabrez (35) a[illegible]aidih police station. Tab[illegible]is on run.

Teen arrests

■ **Khunti:** A special team of Khunti police arrested four teenagers from Murhu jungles late on Friday night in connection to the murder of local contractor Ajay Prasad a few days back. Two countrymade pistols, four cartridges, two bikes and five SIM cards were recovered from Jolen Topno, Gobind Orida, Nao Swansi and Abhishek, all 18-year-old.

Snatching

■ **Hazaribagh:** Two bike-borne criminals snatched a bag containing Rs 6.4 lakh from two employees of Writer Safeguard, a cash management company, on Saturday. The incident took place when Ramesh Mahto and Jaynandan Mahto was about to deposit cash in an ATM near Guru Gobind Singh Park.

खबर मंत्र
रांची, ०८ फरवरी, २०१६

बच्चों का बेहतर पुनर्वास हो : वीरेंदर सिंह

- हेहल में पचास बेड के बालाश्रय के उद्घाटन समारोह में बोले मुख्य न्यायाधीश
- महिला समाख्या समिति करेगी बालाश्रय का संचालन

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वीरेंदर सिंह ने कहा है कि घर से भागे बच्चों को पुलिस द्वारा वापस लाने पर बालाश्रय में उनका बेहतर पुनर्वास होना चाहिए। रविवार को वे हेहल में बालाश्रय के उद्घाटन के मौके पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।

चीफ जस्टिस ने कहा कि, ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएंगे। इस बालाश्रय में फिलहाल 35 बाल श्रमिकों को रखा गया है। इसमें पचास बच्चे रखे जा सकते हैं। इसका संचालन महिला समाख्या सोसाइटी करेगी। बालाश्रय में मौजूद बच्चों संग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमवी लोकुर ने फोटो खिंचवाई और उनके सुनहरे भविष्य की कामना की। महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव विनय चौबे ने स्वागत भाषण में कहा कि न्यायपालिका के सहयोग से ही बालाश्रय का उदय हो सका है। भविष्य में बच्चों के पुनर्वास के लिए ऐसी और भी संरचनाएं खड़ी की जाएंगी। राज्य सरकार, झालसा, यूनिसेफ और हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस उद्घाटन समारोह में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डीएन पटेल, न्यायमूर्ति आरआर प्रसाद, न्यायमूर्ति पीपी भट्ट, न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति पी पटनायक, न्यायमूर्ति आरएन वर्मा, महाधिवक्ता विनोद पोद्दार, अपर महाधिवक्ता जय प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल एके चौधरी, रांची के न्यायायुक्त एवी सिंह, झालसा के सदस्य सचिव नवनीत कुमार, रांची के उपायुक्त मनोज कुमार सहित यूनिसेफ के अधिकारी और सैकड़ों अधिवक्ता मौजूद थे।

हेहल के पास रविवार को बालाश्रय के उद्घाटन के दौरान बच्चों के साथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मदन बी लोकुर और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह।

338 पारामेडिकल कर्मियों को कल मिलेगा स्थायी नियुक्ति पत्र

राज्य ब्यूरो, रांची : 2005 से संविदा पर काम कर रहे 338 पारामेडिकल कर्मियों को मंगलवार को स्थायी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी यह पत्र नामकोम के आइपीएच सभागार में देंगे। इन पारामेडिकल कर्मियों में 69 ए ग्रेड नर्स, 141 फार्मासिस्ट और 128 लैब तकनीशियन शामिल हैं।

- पिछली सरकार की घोषणा पर अब होने जा रहा अमल

पारामेडिकल स्टाफ को स्थायी करने की घोषणा दो वर्ष पूर्व तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह ने की थी। उस समय एएनएम को भी स्थायी करने की घोषणा की गई थी, जिनको पहले ही स्थायी नियुक्ति पत्र मिल गया था। उनकी नियुक्ति जिला स्तर पर होने के कारण ऐसा हुआ था। बाकी तीन पद राज्य स्तरीय होने के कारण ए ग्रेड नर्स, लैब तकनीशियन और फार्मासिस्ट को नियुक्ति पत्र मिलने में विलंब हुआ।

THE TELEGRAPH CALCUTTA MONDAY 8 FEBRUARY 2016

CITY
BRIEFS

Boys' home

Ranchi: Balashray, a home for minor boys, was inaugurated by Supreme Court Judge justice Madan B. Lokur on Sunday at ITI Helal campus on the outskirts of the capital.

हिन्दुस्तान
• रांची • सोमवार • 08 फरवरी 2016

इटकी रोड पर बाल मजदूरों को 'आश्रय'

रांची | वरीय संवाददाता

इटकी रोड में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर ने रविवार को बाल श्रम के शिकार बच्चों के पुनर्वास के लिए नवनिर्मित 'बाल आश्रय' चिल्ड्रेन होम का उद्घाटन किया। मौके पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विरेंदर सिंह, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल और जज आरआर प्रसाद भी उपस्थित थे। मॉडल बाल श्रम पुनर्वास कार्यक्रम लागू में महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और यूनिसेफ साझेदार हैं।

मौके पर जस्टिस लोकुर ने कहा कि यह प्रशंसनीय है कि राज्य सरकार समेत अन्य साझेदार जरूरतमंद बच्चों के लिए एक मॉडल पुनर्वासन कार्यक्रम के साथ आगे आए हैं। मुख्य न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने बाल श्रम से छुड़ाए, देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह बच्चों के पुनर्वास के लिए चुनौती है। जस्टिस पटेल ने कहा कि केसों के जल्द निस्तारण के लिए संप्रेक्षण गृहों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा और किशोर न्याय बोर्डों के साथ इसको जोड़ा जाएगा।

कई विभागों का साझा प्रयास : यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख डॉ मधुलिका जोनाथन ने कहा कि यह कई विभागों का सम्मिलित प्रयास है। इसमें शिक्षा विभाग, कौशल निर्माण मिशन, जिला बाल संरक्षण समितियां, बाल कल्याण समिति और पुलिस संयुक्त रूप से शामिल है।

महिला समाख्या सोसाइटी की जिम्मेदारी:
इसे मूर्त रूप देने के लिए श्रम विभाग ने भवन मुहैया कराया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आईसीपीएस के नियम के तहत बच्चों के देखभाल और भवन के परिचालन आदि में सहयोग दिया है। यूनिसेफ वित्तीय और तकनीकी मदद दे रहा है। कार्यक्रम लागू करने की जिम्मेदारी झारखंड महिला समाख्या सोसाइटी की है। मौके पर बाल विकास विभाग के सचिव विनय चौबे, यूनिसेफ की बाल संरक्षण अधिकारी प्रीति श्रीवास्तव, श्रमायुक्त प्रवीण टोप्पो, डीसी मनोज कुमार, झालसा के सदस्य सचिव नवनीत कुमार, आईसीपीएस के निदेशक राजेश कुमार, डॉ स्मिता गुप्ता आदि उपस्थित थे।

इटकी रोड में रविवार को 'बाल आश्रय' के उद्घाटन के मौके पर बच्चों का अभिवादन करते सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर और अन्य।

खूंटी कोर्ट देखने पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस

खूंटी। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला सिविल कोर्ट देखने के लिए रविवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर खूंटी पहुंचे। उन्होंने रूफ टफ सौर पैनल, कोर्ट परिसर और पावर हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने ऊर्जा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात की।

प्रभात खबर
रांची, सोमवार ,8 फरवरी, 2016

तैयारी. हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह ने कहा

राज्य के सभी न्यायालयों में लगेंगे सोलर सिस्टम

खूंटी व्यवहार न्यायालय में लगे रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट का किया निरीक्षण

सौ सरकारी भवनों में लगेंगे सोलर प्लांट : एसकेजी रहाटे

प्रतिनिधि, खूंटी

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मदन बी लोकुर एवं झारखंड हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह ने खूंटी व्यवहार न्यायालय में लगे रूफ टॉप सोलर प्लांट का निरीक्षण किया. उनके साथ इलाहाबाद हाइकोर्ट के न्यायाधीश दिलीप गुप्ता व झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश डीएन पटेल, प्रेमानंद प्रमथ व अन्य न्यायाधीश भी साथ थे.

न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने एसकेजी रहाटे (प्रधान सचिव, ऊर्जा) एसकेजी रहाटे से सोलर प्लांट की बारीकियों, बिजली उत्पादन, लागत आदि की जानकारी ली. उन्होने कहा कि ऊर्जा बचत में यह अच्छा कार्य है.

इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह ने श्री रहाटे से गढ़वा, साहेबगंज, सिमडेगा व्यवहार न्यायालय में लग रहे सोलर रूफ पावर प्लांट की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि हर हाल में निर्माण कार्य तीन माह के अंदर पूरा करें. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि झारखंड के सभी न्यायालयों में सोलर सिस्टम लगेगा. इसके लिए उन्होंने श्री रहाटे को प्रस्ताव देने को कहा.

श्री रहाटे ने कहा कि झारखंड में फिलहाल सौ सरकारी भवनों को चिह्नित किया गया है, जहां सोलर पावर प्लांट लगाये जायेंगे. जिला समाहरणालय, पुलिस मुख्यालय, अस्पताल को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है. मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह ने कहा कि व्यवहार न्यायालय के बगल में जल्द ही प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट भवन का निर्माण होगा. उक्त न्यायाधीशों ने व्यवहार न्यायालय में स्थापित सोलर प्लांट जंक्शन कक्ष का भी निरीक्षण किया. मौके पर प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश विपिन बिहारी, जिला न्यायाधीश प्रथम ओम प्रकाश सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रेमलता त्रिपाठी, एसडीजेएम राजेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायिक दंडाधिकारी सुशीला सोरेंग व अन्य न्यायिक अधिकारी सहित डीसी प्रसाद कृष्ण वाघमारे, एसपी अनीस गुप्ता आदि मौजूद थे.

इतिहास रचा है खूंटी

व्यवहार न्यायालय खूंटी देश का पहला कोर्ट भवन है, जहां विद्युत आपूर्ति पूरी तरह सोलर के जरिये होती है. गत वर्ष दो अक्तूबर को इस रूफ टॉप पावर प्लांट का उदघाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था. इसके निर्माण पर दो करोड़ 21 लाख रुपये की लागत आयी हैं.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर खूंटी पहुंचे

व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण करते सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मदन बी लोकुर, हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह व अन्य.

हेहल में बालाश्रय का उदघाटन, बोले जस्टिस लोकुर

सप्ताह में एक दिन बच्चों के स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए

रांची. हेहल आइटीआइ के पास रविवार को बाल श्रम से मुक्त कराये गये बच्चों का शेल्टर होम बालाश्रय का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर ने किया. उन्होंने शेल्टर होम के बच्चों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. शेल्टर होम की सुविधाओं का जायजा लिया और सुझाव भी दिये. उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक बार चिकित्सकों द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए. इस अवसर पर झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह सहित अन्य जज उपस्थित थे. जस्टिस वीरेंदर सिंह ने कहा कि अभी यहां पर 32 बच्चे हैं, जिनका ध्यान रखा जा रहा है. यहां बाल श्रमिकों, भीख मांगने वाले बच्चों को मुक्त कराकर रखा गया है.

50 बच्चों को रखने की है सुविधा : यह शेल्टर होम 50 बेड की सुविधा वाला है. इसके निर्माण और संचालन में मुख्य रूप से महिला और बाल विकास विभाग, श्रम विभाग, यूनिसेफ व महिला सामाख्या की भूमिका है. हर फ्लोर में टॉयलेट व बाथरूम है. चिकित्सा कक्ष व एक्टिविटी रूम भी है. यहां पर बच्चों के लिए काउंसेलिंग, व्यायाम, योगा के लिए अलग-अलग शिक्षक है. बच्चों के माता पिता को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़कर उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए पहल की जा रही है. इस मौके पर जस्टिस मदन बी लोकुर, जस्टिस वीरेंदर सिंह, जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस पीपी भट्ट,जस्टिस आरआर प्रसाद ने पौधारोपण भी किया.

दैनिक भास्कर
सोमवार, 8 फरवरी, 2016

शुभारंभ

जस्टिस लोकुर ने किया राजाधानी में पहले सरकारी बालाश्रय का उद्घाटन, 50 बच्चों को मिलेगी जिंदगी की नई रोशनी

जज ने पूछा क्या बनोगे, पीके ने जवाब दिया एक्टर

सिटी रिपोर्टर | रांची

32 बच्चे, जिनका अपना कोई नहीं। और, है भी तो इन्हें पता नहीं। रांची कैसे पहुंचे, कौन इन्हें लेकर भागा था जैसे कई सवालों के जवाब इनके पास नहीं। लेकिन, अब इनको अपना आशियान मिल गया है और अभिभावक भी। 12-14 साल से कम उम्र के इन बच्चों के नए अभिभावक बने हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन वी लोकुर। रविवार को जब वे बच्चों से मिलने पहुंचे, तो सभी ने उनके पांव छुए। जस्टिस लोकुर ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। उनके पास खड़ा एक बच्चा काफी उछल-कूद मचाए हुए था। नजर पड़ते ही हाईकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल ने जस्टिस लोकुर से कहा सर, उससे पूछिए क्या बनेगा जस्टिस या एक्टर। पीके ने जवाब दिया एक्टर। इस बच्चे का पूरा नाम बाबुल उर्फ पीके है, जो गम्हरिया का रहनेवाला है।

इससे पूर्व जस्टिस लोकुर ने राज्य के इस पहले सरकारी बालाश्रय का उद्घाटन किया। मौके पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीरेंद्र कुमार सिंह, जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस आरआर प्रसाद, जस्टिस प्रशांत कुमार, जस्टिस प्रमथ पटनायक, जस्टिस एस चंद्रशेखर, जस्टिस पीपी भट्ट, समाज कल्याण सचिव विनय कुमार चौबे, डीसी मनोज कुमार, समेत कई गणमान्य लोग थे। डीसी मनोज ने बताया कि 50 बेड के इस बालाश्रय में फिलहाल 32 बच्चे हैं। बालाश्रय का संचालन महिला सामाख्या सोसायटी करेगी।

बालाश्रय में बच्चों के साथ जस्टिस लोकुर व जस्टिस बीरेंद्र सिंह।

नदी और महापुरुषों के नाम से हैं कमरे

बालाश्रय के कमरों का नाम झारखंड के महापुरुषों व यहां की नदियों के पर है। तीन तल्ले इस भवन में कई कमरे हैं। जिसमें बच्चों के लिए बेड व अन्य सुविधाएं हैं। कमरों के नाम पांडेय गणपत राय, बिरसा मुंडा, बुधु भगत, शंख, स्वर्णरेखा, दामोदर, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम आदि है।

यहां भविष्य गढ़े जाएंगे : सीजे

चीफ जस्टिस वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि बालाश्रय का चालू होना अच्छी पहल है। यहां रहनेवाले बच्चे चाइल्ड लेबर, ट्रैफिकिंग के हैं। इनका खास ध्यान रखा जाएगा। राज्य में बालाश्रय, आब्जर्वेशन होम खोला जा रहा है। यह सब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2015 के तहत हो रहा है।

बच्चों को शिक्षा के साथ ट्रेनिंग भी

महिला सामाख्या सोसायटी की निदेशक स्मिता गुप्ता ने बताया कि यहां 50 बच्चों के रहने, खाने और शिक्षा देने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। काउंसिलर के साथ टीचर भी होंगे, जो बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी।

सन्मार्ग
रांची, 08 फरवरी 2016

सीएस कोर्ट के न्यायधीश लोकुर ने गृह बालाश्रय का उदघाटन

रांची। आईटीआई कैम्पस राँची में नवनिर्मित बालआश्रय गृह बालाश्रय का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश मदन बी.लोकुर के द्वारा किया गया। झारखण्ड स्टेट लिगल सर्विसेज ऑथरिटी झालसा महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग, यूनिसेफ, एवं महिला सामाख्या के द्वारा बच्चों के इस आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि झारखण्ड होई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश बिरेन्दर सिंह के अलावे डी.एन पटेल, आर आर प्रसाद, एवं अन्य न्यायधीशगण भी इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित थे। विभिन्न स्रोतो से रेस्क्यु किये गये बच्चों के लिए 50 बेड का यह आश्रय गृह बनाया गया है। यहाँ बच्चों को औपचारिक शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ताकि बच्चों को मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सके। इस अवसर पर सचिव, महिला बाल विकास एवं, सामाजिक सुरक्षा विभाग, विनय कुमार चौबे के द्वारा सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त राँची मनोज कुमार, झालसा के सदस्य, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, विभिन्न प्रखण्डों के बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के अलावे सीडीपीएस के अधिकारी, एवं अन्य उपस्थित थे।

श्वेत पत्र
रांची, 08 फरवरी, सोमवार 2016

ई-कोर्ट से मिलेगा शीघ्र न्याय : जस्टिस लोकुर

ई- कोर्ट का उद्घाटन करते जस्टिस मदन लोकुर व जस्टिस वीरेंदर सिंह।

- रांची में झारखंड का दसवां ई-कोर्ट रूम शुरू
- जस्टिस लोकुर व जस्टिस सिंह ने किया उद्घाटन

जागरण संवाददाता रांची : ई-कोर्ट रूम से शीघ्र न्याय मिलेगा। गवाही व बयान रिकॉर्ड होंगे। इससे हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करने में सुविधा मिलेगी। सुनवाई का रिकॉर्ड सीडी में रखा जाएगा। जिसे ऊपरी अदालतों को उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी। जेल से खूंखार कैदियों की पेशी में आनेवाली सुरक्षा संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। ये बातें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सह सुप्रीम कोर्ट के ई-कमेटी इंचार्ज मदन बी लोकुर ने कही। वह शनिवार को सिविल कोर्ट में ज्यूडिशियल कमिश्नर ई-कोर्ट रूम के उद्घाटन के बाद मीडिया को जानकारी दे रहे थे। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वीरेंदर सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट से रिकॉर्ड मंगाने की आवश्यता पड़ती है। रिकॉर्ड मंगाने के लिए लंबी तिथि निर्धारित करनी पड़ती थी। ई-कोर्ट की सुविधा होने से जल्द रिकॉर्ड मंगाया जा सकेगा। इसकी सभी सुनवाई की सीडी तैयार होगी और रिकॉर्डिंग भी होगी।

नव स्थापित ज्यूडिशियल कमिश्नर ई-कोर्ट रूम राज्य का दसवां व रांची का दूसरा ई-कोर्ट ट्रायल कोर्ट है। ई-कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। एक साथ तीन जेल या न्यायालय इससे जुड़ेंगे।

मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सह जोनल जज डीएन पटेल, जस्टिस पीपी भट्ट, प्रशांत कुमार, एस चंद्रशेखर, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार एके चौधरी, सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त अनंत विजय सिंह, रजिस्ट्रार लक्ष्मीकांत सहित हाईकोर्ट व सिविल कोर्ट के अन्य न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे।

हत्या के मामले में डॉक्टर की गवाही दर्ज

ई-कोर्ट रूम के उद्घाटन के बाद हत्या के मामले में रिम्स के एमएमटी विभाग के डा. शशि प्रकाश गावस्कर की गवाही दर्ज की गई। मामले में गुमान सिंह नामक आरोपी को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से पेश किया गया। ई-कोर्ट को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से कनेक्ट कर गवाही हुई। कोर्ट की पूरी कार्रवाही आरोपी गुमान सिंह ने जेल से ही देखी। जस्टिस लोकुर सहित अन्य न्यायाधीशों ने गवाही की प्रक्रिया को बैठकर देखा व सुना। इसके अलावा जस्टिस लोकुर ने अपने नाम से बने कमरे का भी अवलोकन किया।

खबर मंत्र
रांची, सोमवार, 8 फरवरी, 2016

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने बालाश्रय का किया उद्घाटन, कहा

यहां बच्चों को एक नई रोशनी मिलेगी

रांची ■ संवाद सूत्र

आईटीआई कैंपस रांची में नवनिर्मित बालआश्रय गृह बालाश्रय का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश मदन बी. लोकुर के द्वारा रविवार को किया गया। झारखंड स्टेट लिगल सर्विसेज ऑथरिटी झालसा महिला बाल विकास एवं समाजिक सुरक्षा विभाग, यूनिसेफ एवं महिला सामाख्या के द्वारा वच्चों के इस आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि झारखंड होईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश बीरेंद्र सिंह के अलावा डीएन पटेल, आरआर प्रसाद एवं अन्य न्यायधीशगण भी इस कार्यक्रम पर उपस्थित थे। मदन बी लोकुर ने उक्त बालश्रय के खोले जाने पर सरकार को बधाई दी और कहा यहां पर बच्चों को एक नई रोशनी मिलेगी। न्यायाधीश मदन बी. लोकुर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रशंसनीय है कि राज्य सरकार और अन्य दूसरे साझीदार देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए एक मॉडल पुनर्वासन कार्यक्रम के साथ आगे आए हैं। न्यायाधीश बिरेंद्र सिंह ने बालश्रम से छुड़ाए गए, देखभाल एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर बल देते हुए कहा कि यह बच्चों के पुनर्वासन के लिए एक चुनौती है। न्यायाधीश डीएन पटेल ने कहा कि चिल्डेन होम के उद्घाटन और मॉडल बालश्रम पुनर्वास कार्यक्रम को लागू कर राज्य ने 23 अगस्त 2015 को जारी किए गए रांची घोषणा के तहत किए गए वायदों में से एक को पूरा कर दिया है। जल्द ही रांची घोषणा के अंतर्गत किए गए अन्य वायदों, जैसे केसों के जल्दी निस्तारण के लिए संप्रेक्षण गृहों में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा और किशोर न्याय बोर्डों के साथ इसको जोड़ना तथा संप्रेक्षण गृहों में परामर्श, कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना जिसे जल्द ही महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख डा. मधुलिका जोनाथन ने कहा कि यह कई विभागो का सम्मिलित प्रयास है। जिसमें शिक्षा विभाग, कौशल निर्माण मिशन,

जिला बाल संरक्षण समितियां, बाल कल्याण समिति और पुलिस संयुक्त रूप से शामिल हैं। जिसका उद्देश्य है कि देखभाल और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों का पुनर्वास और नियमित रूप से उनकी निगरानी, ताकि वे दुबारा बालश्रम के शिकार न हों। इसके अलावा इस कार्यक्रम में जरूरतमंद बच्चों के परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित किया गया है। विभिन्न स्त्रोतो से रेस्क्यु किए गए बच्चों के लिए 50 बेड का यह आश्रय गृह बनाया गया है। यहां बच्चों को ओपचारिक शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ताकि बच्चों को मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। इस अवसर पर सचिव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग विनय कुमार चौबे के द्वारा सभी माननीय अतिथियों का स्वागत किया गया।

दैनिक जागरण रांची, 8 फरवरी 2016

बालाश्रय का उदघाटन , मुक्त कराये गये 32 बच्चे रखे गये

संवाददाता

रांची। आइटीआइ के समीप चिल्ड्रेन होम बालाश्रय खोला गया है। इसका उदघाटन सुप्रीम कोर्ट के जज मदन बी लोकुर ने किया। इसमें रेस्क्यु किये गये बच्चों को रखा जायेगा। तीन मंजिला इस बालाश्रय में कुल 17 रूम हैं। 50 बच्चों के रखने की क्षमता है। अभी 32 बच्चों को रखा गया है। ये सभी बच्चे बाल श्रमिक हैं, जिन्हें मुंबई, चेन्नई, भागलपुर आदि जगहों से रेस्क्यु किया गया है। चीफ जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बच्चों का पूरा ध्यान रखा जायेगा। जेजे एक्ट के तहत बच्चों की देखरेख की जायेगी। मौके पर जज मदन बी लोकुर बच्चों से मिलकर बेहद खुश नजर आये। बच्चों ने अपनी बातें उनसे साझा कीं। बच्चों की खुशी का भी ठिकाना न था। उदघाटन सत्र में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस आरआर प्रसाद, श्रमायुक्त प्रवीण टोप्पो, महिला, बाल विकास विभाग के सचिव वीरेंद्र कुमार चौबे, झारखंड स्टेट सरवाइव ऑथोरिटी विभाग के नवनीत कुमार, बाल श्रमिक आयोग की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मनोज कुमार पांडेय, सिस्टर जेमा, समाख्या की स्टेट प्रोग्राम निदेशक स्मिता सहित अन्य उपस्थित थे।

बालाश्रय का उदघाटन करते सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोकुर साथ में झारखंड के मुख्य न्यायधीश वीरेंद्र सिंह व अन्य।

बालाश्रय में क्या होगा : बालाश्रय में 50 बच्चों को रखने की क्षमता है। इसमें बाल श्रमिकों को रहने, कपड़े, खाने-पीने, स्वास्थ्य की सुविधा दी जायेगी। बच्चों को पढ़ाया जायेगा। योगा, पीटी क्लास के साथ आर्ट और क्राफ्ट भी सिखाया जायेगा। बच्चों की काउंसिलिंग की जायेगी।बच्चों के घर वालों की पहचान करने, माता-पिता की काउंसिलिंग और आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में भी पहल करेगा। परिवार का आर्थिक, सामाजिक रिपोर्ट तैयार करेगा। इसका संचालन समाख्या करेगा।

पांच शिक्षक हैं : बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पांच शिक्षकों को रखा गया है। इनमें स्पोर्ट्स में रंजन कुमार, योगा में इंद्रजीत चक्रवर्ती, पेंटिंग में ध्रुव श्रीवास्तव अपना योगदान दे रहे हैं।

राष्ट्रीय नॅवीन मेल

रांची, सोमवार, 8 फरवरी, 2016

जस्टिस लोकुर ने बालश्रय का किया उद्घाटन, कहा-

बच्चों को मिलेगी नयी रोशनी

छाया : दिवाकर

रांची। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन वी लोकुर ने रविवार की सुबह आईटीआई बस स्टैंड के पास बने बालश्रय काउद्घाटन किया। इस मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जसिस्टस वीरेंद्र कुमार सिंह, जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस आरआर प्रसाद, जस्टिस प्रमथ पटनायक, जस्टिस पीपी भट्ट, जस्टिस एस चंद्रशेखर समेत कई लोग उपस्थित थे। मदन वी लोकुर ने उक्त बालश्रय के खोले जाने पर सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस बालश्रय के खुलने से यहां पर बच्चों को एक नयी रोशनी मिलेगी। ध्यान रहे कि यहां रहने वाले बच्चों को कोई परेसानी नहीं हो। इसकी जिम्मेदारी बसों को लेनी होगी। रांची डीसी मनोज कुमार ने बताया कि आश्रम में 50 बच्चों के रहने की व्यवस्था है। फिलहाल, 32 बच्चे रह रहे हैं। आश्रम का संचालन की जिम्मेवारी महिला सामाख्या सोसाइटी को सौंपा गया है। निदेशक स्मिता गुप्ता ने कहा कि यहां बच्चों के समुचित विकास की व्यवस्था की गई है।

रांची, 8 फरवरी 2016 दैनिक जागरण

जस्टिस लोकुर ने किया बालश्रय का उद्घाटन

रांची। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन वी लोकुर ने रविवार की सुबह राजधानी में बालश्रय का उद्घाटन किया। यह बालश्रय आईटीआई बस स्टैंड के पास स्थित है। मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जसिस्टस वीरेंद्र कुमार सिंह, जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस आरआर प्रसाद, जस्टिस प्रमथ पटनायक, जस्टिस पीपी भट्ट, जस्टिस एस चंद्रशेखर समेत कई लोग उपस्थित थे।

बच्चों को मिलेगी नयी रोशनी : लोकुर

मौके पर न्यायमूर्ति लोकुर ने बालश्रय खोले जाने पर राज्य सरकार को बधाई दी और कहा कि यहां पर बच्चों को एक नयी रोशनी मिलेगी। इस अवसर पर रांची उपायुक्त मनोज कुमार ने बताया कि आश्रम में ५० बच्चों के रहने की व्यवस्था है। फिलहाल, ३२ बच्चे रह रहे हैं। आश्रम का संचालन की जिम्मेवारी महिला सामाख्या सोसाइटी को सौंपा गया है। मौके पर निदेशक स्मिता गुप्ता ने कहा कि यहां बच्चों के समुचित विकास की व्यवस्था की गई है।

रांची, 8 फरवरी 2016 दैनिक जागरण

नालसा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए टीमों को दिया गया प्रशिक्षण

●सात टीमों को दिया जाना है प्रशिक्षण

संवाददाता

रांची। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) के द्वारा लॉच किया सात नयी योजनाओं को क्रियान्वयन करने की ओर डालसा ने कदम उठा लिया है। रविवार को योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए गठित सात टीमों में से दो टीम को प्रशिक्षण दिया गया। दोनों टीम को सिविल कोर्ट के मध्यस्थता केन्द्र में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। टीम एक को अनैतिक तस्करी के रोकथाम का प्रशिक्षण दिया गया। इन लोंगों को रिसोर्स पर्सन अपर न्यायायुक्त अखिल कुमार ने भादवि की धारा 366, 366ए, 366बी, 367, 368, 369, 370, 370ए, 372, 373, 371 तथा सीआरपीसी की धारा 157, 167(2), 173, 327 व 357 के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस टीम में लॉ यूनिवर्सिटी रांची के प्रोफेसर निमाई दास गुरु, बाल विकास स्कीम के लिए सीडीपीओ कंचन सिंह, साथ ही पीएलवी के पैनल अधिवक्ता बिनोद साहू, अर्चना साबू व कैलाश गोप उपस्थित थे। वहीं टीम दो को अंतरराज्यीय प्रवासी मजदूर एक्ट 1979 के बारे में जानकारी दी गयी। इस टीम को सहायक श्रमायुक्त राजेश प्रसाद ने एक्ट के बारे में बताया। मौके पर झालसा के उप सचिव राजेश कुमार व पैनल अधिवक्ता उदय शंकर चौरसिया व नित्यानंद सिंह भी उपस्थित थे। प्रशिक्षण कार्यक्रमं में अपर न्यायायुक्त संतोष कुमार डासला सचिव रजनी कांत पाठक आदि ने भी योजनाओं के बारे में बताया। जानकारी हो कि हाल ही में राज्य में सात योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए सात टीमों का गठन किया गया था।

hindustantimes

3.2.2016

courts in country to be solar powered: Justice Lokur

Khunti district of the State last year and became first of its kind judicial complex equipped with 180KW grid connected to rooftop solar plant that fulfills entire energy need of the premise and also some other Government offices nearby.

Earlier, Justice Lokur inaugurated 'Balashrya', a children shelter home near ITI, Hehal on Sunday in the presence of Chief Justice Virender Singh, Justice DN Patel, Justice RR Prasad, Justice P Patnayak, Justice PP Bhatt and Justice S Chandrashekhar along with several other dignitaries.

Justice Lokur, congratulating stakeholders for taking such an initiative, said that the children will be given a new way of life from this rehabilitation home. "Besides rehabilitation, it will also provide care and protection to the children," said Justice Lokur. Chief Justice Virender Singh also emphasised on the strengthening families of the rescued children, as it becomes both challenging and critical for the rehabilitation of children.

Justice DN Patel while speaking on the occiasion said that with inauguration of children's home and implementation of the model child labour rehabilitation programme, state has achieved one of its commitments made under Ranchi declaration released on August 23, 2015. "Very soon other commitments under Ranchi Declaration like video conferencing facility in observation homes and linking with up with JJBs for speedy disposal of cases; counseling cum legal aid centers in Observation Homes will be started by Department of DWCD," said Justice Patel.

Chief of Field Office Madhulika Jonathan of Jharkhand UNICEF on the other hand said, "It is a convergent model also bringing in education department, skill building mission, district child protection societies, Child Welfare Committee and Police together to meet the one objective of rehabilitation of children in need of care and protection and their regular follow up for tracking them to ensure they do not fall out of safety net. The focus is also on family strengthening."

Currently, 'Balashrya' has a capacity of 50 children at a time and responsibility has been fixed over Mahila Samakhya Society to run the rehabilitation home. Labour department has provided the building and equipped it with facilties. Departement for Women and Child Development (DWCD) is providing per child cost as per ICPS norms and other operational and maintenance support. UNICEF as one of the partners is providing financial and technical support to this program while Jharkhand Mahila Samakhya Society is the implementing partner.

The objective of 'Balashrya,' according to an official, is to ensure that the child ones rescued and sent to the Children's Home must be rehabilitated, mainstreamed and tracked so that he is not again pushed into child-labour again.

Supreme Court Judge Justice Madan B Lokur and Chief Justice of Jharkhand High Court Virendra Singh pose for a photo with children of child rehabilitation home after its inauguration at Hehal in Ranchi on Sunday Vinay Murmu | Pioneer

hindustantimes 07th Feb 2016

Justice Madan B Lokur, Supreme Court judge, inaugurated the Children's Home (Balashray) at ITI campus in Ranchi, on Sunday. SAUMYA MISHRA/ HT PHOTO

SC judge inaugurates home for rescued child labourers

HT Correspondent
htJharkhand@hindustantimes.com

RANCHI: Justice Madan B Lokur, a Supreme Court judge inaugurated the children's home for boys Balashray at Hehal on Sunday. The labour department, department of women and child development and UNICEF will be jointly responsible for the functioning of the home which has a capacity to shelter 50 children and is meant for rescued child labourers. A detailed plan of action was worked out to execute the model of child labour rehabilitation program with clear responsibilities and contribution of each partner.

LABOUR DEPT, DEPT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND UNICEF WILL BE JOINTLY RESPONSIBLE FOR THE FUNCTIONING OF THE HOME

Labour department has provided the building and equipped it. DWCD is providing per child cost as per Integrated Child Protection Scheme (ICPS) norms and other operational, maintenance support. UNICEF is providing financial and technical support.

The objective behind the programme is, once a child is rescued and sent to the children's home by child welfare committee he must be rehabilitated, mainstreamed and tracked so that he is not pushed into labour again.

Others present during the inauguration included, Chief Justice Jharkhand High Court Virendra Singh, executive chairperson Jharkhand State Legal Services Authority DN Patel and UNICEF Jharkhand chief Madhulika Jonathan among others.

Justice Lokur appreciated the state and other partners for coming up with this convergent model for rehabilitation of the children in need of care and protection.